GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Group-II)

No. F 1(12)DOP/A-II/ 89

Jaipur, dated 27.01.2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Articles 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Excise Service (General Branch) Rules, 1974, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Excise Service (General Branch) (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 6.- The existing sub-rule (1) of rule 6 of the Rajasthan Excise Service (General Branch) Rules, 1974, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(1) Recruitment to the service after the commencement of the Rajasthan Excise Service (General Branch) (Amendment) rules, 2016 shall be made by the following methods in the proportion indicated in column 3 of the Schedule-I,-

(a) by direct recruitment in accordance with the procedure laid down in Part-IIIA of these rules; and
(b) by promotion in accordance with the procedure laid down in Part-IV of these rules.

3. Insertion of new rules 8A and 8B.- After the existing rule 8 and before the existing rule 9, the following new rules 8A and 8B shall be inserted, namely:-

"**8A. Reservation of vacancies for Backward classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes.-** Reservation of vacancies for Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes shall be accordance with the provision of law in force at the time of direct recruitment. In the event of non-availability of eligible and suitable candidates amongst Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

8B. Reservation of vacancies for women.- Reservation of vacancies for women candidates shall be 30% category wise in the direct recruitment, out of which one third shall be for widows and divorced women candidates in the ratio of 80:20. In the event of non availability of eligible and suitable candidates, either in widow or in divorcee, in a particular year, the vacancies may first be filled by interchange, i.e. vacancies reserved for widows to the divorcees or vice versa. In the event of non availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies, shall be filled by other women of the same category and in the event of non availability of eligible and suitable women candidates, the vacancies so reserved for them shall be filled up by male candidates of the category for which vacancy in reserved. The vacancy so reserved for women candidates shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation, within the category, i.e. even the women selected in the general merit of the category shall first be adjusted against the women quota.

Explanation: In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce."

4. Insertion of new Part-IIIA.- After the existing Part-III and before the existing Part-IV of the said rules, the following new Part-IIIA shall be inserted, namely:-

"PART-IIIA
PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

9A. Inviting of Application.- Applications for direct recruitment to post in the service, shall be invited by the Commission or the Appointing Authority, as the case may be, by advertising the vacancies to be filled, in the Official Gazette or in such other manner as may be deemed fit. The Advertisement shall contain a clause that candidate who accepts the assignment on the initial post being offered to him/her shall be paid monthly fixed remuneration at the rate fixed by the Government, from time to time, during the period of probation and the pay band and grade pay of the post as shown else-where in the advertisement shall be allowed only from the date of successful completion of the period of probation mentioned in these rules:

Provided that while selecting candidates for the vacancies, so advertised, the Commission or the Appointing Authority, as the case may be, if intimation of additional requirement not exceeding fifty percent of the advertised vacancies, is received by them/it before selection also select suitable persons to meet such additional requirement.

9B. Frequency of direct recruitment.- Direct recruitment to the posts specified in Schedule-I shall be held at least once in a year unless the Government decides that a direct recruitment for any of the post shall not be held in any particular year.

9C. Form of Application.- The application shall be made in the form approved by the Commission or the Appointing Authority, as the case may be, and obtainable from the Secretary to the Commission or from the office of Appointing Authority on payment of such fee, if any, as the Commission or the Appointing Authority may, from time to time, fix.

9D. Application Fee.- A candidate for direct recruitment to a post in the service shall pay to the Commission or the Appointing Authority, as the case may be, such fees as are fixed by them/it, from time to time, in such manner as may be indicated by them/it.

9E. Scrutiny of Applications.- The Commission or the Appointing Authority, as the case may be, shall scrutinize the applications received by them/it and require, as many candidates qualified for appointment under these rules are seem to them/it desirable, to appear before them/it for interview or Competitive examination or both, as the case may be:

Provided that decision of the Commission or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

9F. Recommendations.- (1) The Commission or the Appointing Authority, as the case may be, shall prepare a list of the candidates whom they/it consider suitable for appointment to the post(s) concerned, arrange their names in the order of merit and forward the same to the Appointing Authority:

Provided that the Commission or the Appointing Authority, as the case may be, to the extent of fifty percent of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates in the reserved lists, category wise. Names of such candidates may, on requisition, be recommended in the order of merit to the Government or the Appointing Authority, as the case may be, within six months from the date on which the original list is forwarded by the Commission to the Government or the Appointing Authority, as the case may be.

9G. Disqualification for appointment.- (1) No candidate who has more than one spouse living shall be eligible for appointment to the service unless the Government, after being satisfied that there are special grounds permissible under the personal law for doing so, exempt any candidate from operation of this rule.

(2) No candidate who is married to a person having already a spouse living shall be eligible for appointment to the service unless the Government, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any candidate from the operation of this rule.

(3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had, at the time of marriage or at any time thereafter, accepted any dowry.

Explanation: For the purpose of this rule 'Dowry' has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act No. 28 of 1961).

(4) No candidate shall be eligible for appointment of the service who has more than two children on or after 01-06-2002:

Provided that,-

(i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she had on 1st June, 2002, does not increase.

(ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

(iii) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow to be made under the provisions of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servants Rules, 1996.

(iv) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

(v) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub- rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

9H. Selection by the Appointing Authority.- Subject to the provisions of rule 8, 8A and 8B, the Commission or the Appointing Authority, as the case may be, shall select candidates in the order of merit in the list prepared under rule 9F:

Provided that inclusion of candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointment Authority is satisfied after such inquiry as may be considered necessary that such candidate is suitable in all other respects for appointment to the post concerned."

5. **Substitution of Schedule-I.-** The existing Schedule-I appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE-I

S. No.	Name of the post	Method of the recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Senior post						
1.	Additional Commissioner Excise	100 % by promotion	-	Deputy Commissioner/District Excise Officer (Senior Scale)	Five years' experience on the post mentioned in column 5	
2.	Deputy Commissioner/ District Excise Officer (Senior Scale)	100% by promotion	–	District Excise Officer (Ordinary Scale)	Five years' experience on the post mentioned in column 5	
3.	District Excise Officer (Ordinary Scale)	100% by promotion	–	Assistant Excise Officer	Five years' experience on the post mentioned in column 5	
Junior post						
4.	Assistant Excise Officer	25% by combined competitive examination in accordance with the provisions laid down in the Rajasthan State and Subordinate Service (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999; and 75% by promotion	As mentioned in the Rajasthan State and Subordinate Service (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999	Excise Inspector Grade-I	Five years' experience on the post mentioned in column 5	-

"

By order and in the name of the Governor,

(Sunil Sharma)
Joint Secretary to the Government

7/2017

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ1(12) डीओपी/ए–II/89 जयपुर, दिनांक : 27.01.2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 का संशोधन.– राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 6 के विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(1) राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) (संशोधन) नियम, 2016 के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में भर्ती, अनुसूची–I के स्तंभ 3 में उपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित रीतियों द्वारा की जायेगी :–

(क) इन नियमों के भाग 3क में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ख) इन नियमों के भाग 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

3. नये नियम 8क और 8ख का अंतःस्थापन.– विद्यमान नियम 8 के पश्चात् और विद्यमान नियम 9 के पूर्व निम्नलिखित नये नियम 8क और 8ख अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

"**8क. पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.–** पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष–विशेष में पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

8ख. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गवार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष–विशेष में या तो विधवा या विछिन्न विवाह–महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न विवाह–महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह–अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह–महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।"

4. नये भाग 3क का अंतःस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान भाग 3 के पश्चात् और विद्यमान भाग 4 के पूर्व निम्नलिखित नया भाग 3क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"भाग 3क

सीधी भर्ती के लिए प्रकिया

9क. आवेदन आमंत्रित करना.– सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे प्रारंभिक पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद का वेतन बैंड और

ग्रेड वेतन, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात कियाा जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

9ख. सीधी भर्ती की आवृति.– अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती तब तक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी जब तक कि सरकार यह विनिश्चय नहीं कर ले कि इनमें से किसी पद के लिए किसी वर्ष–विशेष में सीधी भर्ती आयोजित नहीं की जायेगी।

9ग. आवेदन का प्ररूप.– आवेदन आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जायेगा और वह आयोग के सचिव या नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस, यदि कोई हो, का संदाय करके, जो आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर नियत करे, प्राप्त किया जा सकेगा।

9घ. आवेदन फीस.– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी फीस का, जो उसके द्वारा नियत की जाये, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करें, संदाय करेगा।

9ङ. आवेदन की संवीक्षा.– आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वह वांछनीय समझे, साक्षात्कार या प्रतियोगी परीक्षा या, यथास्थिति, दोनों हेतु उसके समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी के पात्र होने या अन्यथा के बारे में आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

9च. सिफारिशें.– आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पद (पदों) पर नियुक्ति के लिए उपंयुक्त समझे, उनके नामों को योग्यताकम में व्यवस्थित करके एक सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा :

परन्तु आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापित रिक्तियों के पचास प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। अध्यपेक्षा किये जाने

पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल सूची आयोग द्वारा सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर–भीतर सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी।

9छ. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.– (1) कोई भी अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु ,–

(i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है :

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा :

(iii) इस उप–नियम के उपबंध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे :

(iv) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(v) कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

9ज. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.– आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी नियम 8,8क, और 8ख के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए नियम 9च के अधीन तैयार की गयी सूची में के योग्यताक्रम में अभ्यर्थियों का चयन करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।"

5. **अनुसूची–I का प्रतिस्थापन.–** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–I के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"अनुसूची–I

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ पद						
1.	अपर आयुक्त आबकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	उपायुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव	
2.	उपायुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान)	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव	
3.	जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	सहायक आबकारी अधिकारी	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव	

कनिष्ठ पद						
4.	सहायक आबकारी अधिकारी	**राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 25 प्रतिशत और पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत**	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 में यथा उल्लिखित	आबकारी निरीक्षक ग्रेड–I	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव	

"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

7/2017